भारत पर 100% टैरिफ की तलवार

- अमेरिकी संसद से रूसी व्यापार पर रोक का बिल मंजूर

वाशिंगटन, 17 सितंबर (एजेंसी). अमेरिकी कांग्रेस ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों के सामान पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने वाला विधेयक पास कर दिया है. केवल इस विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की औपचाकिता रह गई है.

यह बिल राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे रूस से तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकें. इन देशों में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं. भारत रूस से काफी तेल खरीदता है. इससे पहले फरवरी में अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिया था. हालांकि बिल पास होने के बाद भी संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप तत्काल इसे लागू करने से बचेंगे. चूंकि इस वक्त अमेरिका का सारा ध्यान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे पर है, ऐसे में तुरंत इस कानून के बनने में थोड़ा वक्त लग सकता है.

100 प्रतिशत टैरिफ बिल पर भारत का दो टूक जवाब

नई दिल्ली. अमेरिकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास हुआ है, जिसे लेकर भारत सरकार ने बयान जारी किया है. सरकार ने कहा कि वह इस मामले पर आगे होने वाले घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखे हुए है. भारत ने यह भी दोहराया कि वह पहले भी कई बार कह चुका है कि उसकी प्राथमिकता अपने डेढ़ अरब से ज्यादा लोगों को ऊर्जा सुरक्षा देना है. इसके लिए भारत अलग अलग देशों से तेल और गैस खरीदता रहेगा और बाजार की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेता रहेगा. यानी यह साफ संकेत है कि भारत अपनी ऊर्जा नीति में किसी बाहरी दबाव में बदलाव नहीं करेगा. बयान में यह भी बताया गया कि यह मुद्दा पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के कई बड़े अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तर पर चर्चा में रहा है. भारत ने अमेरिकी पक्ष के सामने यह बात बहुत साफ रूप से रखी है कि इस तरह के प्रतिबंधों का असर सिर्फ भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है.

हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी के अनुसार, इस विधेयक में रूसी उत्पादों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है. साथ ही, रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जा सकता है. समिति ने कहा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि हर 180 दिन में समीक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर अन्य देशों को भी इस सूची में जोड़ा जा सकता है.

सैफुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

जम्मू. जम्मू की राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. सैफुल्ला का नाम अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले समेत कई बड़ी आतंकी वारदातों से जुड़ा है. सैफुल्ला पाकिस्तान के कसूर जिले के चंगा मांगा गांव का रहने वाला बताया गया है. आतंकी संगठन में उसे साजिद जट्ट, अली भाई, हबीबुल्लाह मलिक, लंगड़ा, नूमी, नुमान, उस्मान हबीब और शानी जैसे नामों से भी जाना जाता है. वह पिछले दो दशकों से अधिक समय से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय है और लश्कर-ए-तैयबा के संचालन में अहम भूमिका निभाता रहा है. कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए-तैयबा के गहरे नेटवर्क का खुलासा किए जाने के बाद हुई है.

मणिपुर राहत कैंपों में मौतों पर सुको सख्त

- राज्य को 25 संदिग्ध मौतों पर रिपोर्ट देने का आदेश
- राहत शिविरों में मौतों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 सितंबर. मणिपुर हिंसा के बाद राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों की अप्राकृतिक मौतों की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से इन मौतों की पूरी जानकारी और जांच की स्थिति बताने को कहा है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस मोहना की बेंच ने गुरुवार को मणिपुर हिंसा से जुड़े यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. कोर्ट ने मणिपुर के मुख्य सचिव को 25 अप्राकृतिक मौतों से जुड़ी पूरी जानकारी देने को कहा है. इसमें मौत की वजह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इससे जुड़े दूसरे दस्तावेज शामिल हैं.

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि विस्थापित लोगों की सुरक्षा और सम्मान बनाए रखने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त मेडिकल सुविधा और रोजमर्रा की जरूरी चीजें उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.कोर्ट ने उस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया, जिसमें 8 जिलों के राहत शिविरों में 640 मौतों का जिक्र है. रिपोर्ट के मुताबिक इनमें केवल 20 मामलों में पोस्टमार्टम कराया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि बाकी मामलों में पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया और कुछ मामलों में केवल 20 से 30 हजार रुपये मुआवजा क्यों दिया गया.

> कोर्ट ने मणिपुर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को तुरंत इस मामले को देखने का निर्देश दिया.अथॉरिटी को कहा गया कि अप्राकृतिक मौत के सभी मामलों में एफआईआर दर्ज हो.मौत की सही वजह पता लगाई जाए.राहत शिविरों में लोगों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए. पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जल्द पूरी की जाए. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मणिपुर के एडवोकेट जनरल से भी सवाल किया कि 4 जुलाई को समिति की ओर से मांगी गई 25 मौतों की जानकारी अब तक क्यों नहीं दी गई.

नीट- एसएस की कटऑफ घटी

- 30 पर्सेंटाइल पर भी मिलेगा मौका
- तमिलनाडु को मिलेंगी 40 सीटें

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 सितंबर. नीट-एसएस के जरिए सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नीट-एसएस की न्यूनतम पात्रता 50वें पर्सेंटाइल से घटाकर 30वें पर्सेंटाइल की जा रही है. इसके साथ ही तमिलनाडु से संबंधित 40 खाली इन-सर्विस सीटें राज्य सरकार को वापस करने पर भी केंद्र ने सहमति जताई है.केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने नोट में कहा कि दूसरे चरण की नीट-एसएस काउंसलिंग पूरी होने के बाद देशभर में 1,857 सुपर स्पेशियलिटी सीटें खाली हैं. उपलब्ध सीटें खाली न रहें और प्रशिक्षण क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो, इसे ध्यान में रखते हुए पात्रता सीमा घटाने का फैसला किया गया है. अब 30वें पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी प्रस्तावित विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल हो सकेंगे.

छात्रा की मौत पर सियासत

नई दिल्ली. दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी में छात्रा की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस आमने-सामने हैं. आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि कुछ सप्ताह पहले छात्रा की पीजी से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को दबा दिया. उन्होंने पुलिस से घटना की परिस्थितियों की जानकारी सार्वजनिक करने और निष्पक्ष जांच की मांग की. छात्रा की पीजी से गिरने के बाद मौत हुई है तो पुलिस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किन परिस्थितियों में गिरी.

ग्वादर का 'दुबई मॉडल' पड़ा संकट में

पाक-चीन की बढ़ी चिंता

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

इस्लामाबाद, 17 सितंबर. पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को कभी देश के आर्थिक भविष्य और 'दुबई मॉडल' की दिशा में बड़े कदम के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन सुरक्षा संकट, स्थानीय असंतोष और सीमित निवेश ने इस परियोजना की महत्वाकांक्षाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मानवाधिकार संगठनों और बलूच कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विकास परियोजनाओं के साथ सुरक्षा अभियान भी बढ़े हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर स्थानीय आबादी पर पड़ा है.

स्थानीय असंतोष के बीच चीनी परिसरों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है. चीनी प्रतिष्ठानों के आसपास बाड़ लगाने और निगरानी कैमरे लगाए जाने की खबरें सामने आई हैं. अधिकार समूहों का आरोप है कि सुरक्षा अभियानों के दौरान बलूच परिवारों को भी निगरानी और कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. फरवरी 2026 में अकेले बलूचिस्तान में 200 से अधिक जबरन गुमशुदगी और 87 हत्याएं दर्ज की गईं. संगठन ने इनमें से अधिकांश घटनाओं के लिए फ्रंटियर कॉर्प्स को जिम्मेदार ठहराया है. ऐसे आंकड़ों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अलग-अलग मामलों में चुनौतीपूर्ण है. बलूच कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुरक्षा अभियानों का असर अब महिलाओं पर भी बढ़ रहा है. उनके अनुसार, केच में 22 वर्षीय एक महिला को उसके घर से कथित तौर पर उठा लिया गया, जबकि क्वेटा में एक नर्सिंग छात्रा को उसके हॉस्टल से ले जाने का आरोप लगाया गया है. इस्लामाबाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली सैकड़ों महिलाओं को भी गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई है.

पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, छह जिलों में थमे ट्रैक

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़, 17 सितम्बर. किसान मजदूर मोर्चा चैप्टर पंजाब ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है. मोगा में अपनी मांगों को लेकर केकेएम चैप्टर पंजाब से जुड़ी आठ अलग-अलग किसान जत्थेबंदियों ने गांव महेश्वरी संधूया में रेलवे ट्रैक पर धरना लगाकर पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया.

किसानों को रेलवे ट्रैक तक पहुंचने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान पुलिस की बैरिकेडिंग को पार कर रेलवे ट्रैक तक पहुंचने में सफल रहे और वहां धरना शुरू कर दिया. रेलवे स्टेशन के बाहर किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

विमान क्रैश की जांच में एएआईबी पर उठे गंभीर सवाल

अहम डेटा जारी करने की मांग

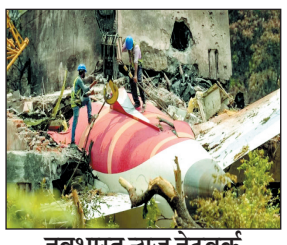

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 सितंबर एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 171 हादसे की जांच को लेकर बोइंग के व्हिसलब्लोअर एड पियर्सन ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी से विमान से जुड़े अहम डेटा को सार्वजनिक करने की मांग की है.

विमान के एसीएआरएस और एएचएम डेटा में हादसे से पहले हुई घटनाओं और सिस्टम से जुड़ी अहम जानकारी मौजूद है.एड पियर्सन ने एएआईबी से सवाल किया है कि अभी तक एसीएआरएस और एएचएम डेटा को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है. उनका कहना है कि इन डेटा स्ट्रीम्स में विमान के सिस्टम में हुई संभावित गड़बड़ियों के साथ-साथ अलग-अलग घटनाओं के सटीक समय की जानकारी भी मिल सकती है. यह डेटा वी टी-एएनबी विमान के साथ हादसे से पहले क्या हुआ, इसे समझने में अहम हो सकता है.

एविएशन सेफ्टी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पियर्सन ने जांच में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि एएआईबी एक पायलट की संभावित जिम्मेदारी की तरफ इशारा कर रहा है.

एविएशन इंडस्ट्री को समय रहते अलर्ट करने की जरूरत

पियर्सन ने यह भी सवाल उठाया कि एआई 171 की जांच के आधार पर अब तक दुनियाभर की एविएशन कम्युनिटी के लिए कोई अंतरिम सुरक्षा सिफारिश या चेतावनी क्यों जारी नहीं की गई. उनका कहना है कि जांच के दौरान अगर किसी संभावित खतरे से जुड़ी जानकारी सामने आई है, तो उसे लेकर एविएशन इंडस्ट्री को समय रहते अलर्ट किया जाना चाहिए.

ब्रिक्स सम्मेलन के बाद विश्व नेताओं के बीमार होने का दावा फर्जी

विदेश मंत्रालय ने किया अलर्ट

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 सितंबर. विदेश मंत्रालय (एमईए) की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे कई भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण पोस्टों को लेकर लोगों को सावधान किया.

इन पोस्टों में दावा किया जा रहा था कि भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद कई विश्व नेता बीमार पड़ गए हैं. एमईए फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक?स' पर लिखा, 'भ्रामक! लोगों को सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे ऐसे दुर्भावनापूर्ण पोस्टों से सावधान रहना चाहिए.' एमईए फैक्ट चेक ने 'फर्स्ट स्क्वाक' नामक अकाउंट की एक पोस्ट भी साझा की. उस पोस्ट में दावा किया गया था, 'बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा सहित कई विश्व नेता भारत में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद कथित रूप से बीमार पड़ गए हैं. वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में रिपोर्टों की पुष्टि नहीं हुई है.

बीजेपी के दावों पर भड़के गोगोई

बोले- 'संसदीय समिति में नहीं हुई यूपीआई चार्ज पर बात'

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 सितंबर. यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रही है.

राहुल गांधी ने इसे मोदी टैक्स बताते हुए सरकार पर गुस्सा जाहिर किया था और इसे वापस लेने की मांग की है. संसद की वित्त संबंधी स्यायी समिति की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूपीआई के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था की जरुरत पर जोर दिया गया था.

इस लिस्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के. गोपीनाथ शामिल थे. गौरव ने कहा कि संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति ने मोदी सरकार के हाल ही में घोषित यूपीआई टैक्स प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं की है.

जब वित्त विभाग के अधिकारी वित्त समिति के सदस्यों से मिले, तो उनके पास यूपीआई टैक्स को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था. एमडीआर की जरूरत पर सवाल उठाए गए, लेकिन उस समय सरकार के प्रतिनिधियों के पास कोई ठोस या संतोषजनक जवाब नहीं था.

राहुल ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई. आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें. एम मोदी ने जन्मदिन पर उनके लिए बनाए गए गाने को शेयर किया और कहा कि कुछ बातें या अंदाज़ बहुत खास होते हैं.

एक नजर में

अंशुल अंबानी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अंबानी की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ किसी लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी के जारी होने और उसके प्रभावी होने की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी. अदालत ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन समेत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तीन सप्ताह के भीतर अंशुल अंबानी को इस संबंध में जरूरी सूचना उपलब्ध कराएं.

शीर्ष माओवादी नेता असीम मंडल गिरफ्तार

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है. करीब दो करोड़ रुपये के इनामी शीर्ष माओवादी नेता असीम मंडल उर्फ आकाश को कोलकाता पुलिस की विशेष कार्यबल ने गुरुवार तड़के पूर्व मेदिनीपुर के पोटाशपुर से गिरफ्तार किया. संगठन के कमजोर पड़ने और कई बड़े नेताओं के आत्मसमर्पण के बावजूद आकाश ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था. वह पैसे जुटाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा था.

पाकिस्तान का आतंकी मुस्तफा और सद्दाम ढेर

जम्मू. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया गया था. सुरक्षा बलों का सामना आतंकियों से हो गया और मुठभेड़ शुरू हो गई. कार्रवाई के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया. बाद में उनकी पहचान मुस्तफा और सद्दाम के रूप में हुई. दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे. ऑपरेशन सोहन के दौरान हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है.

हस्तियों के ट्वीट

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने जापान के साथ सैन्य-तकनीकी सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सरकार-से-सरकार (जी2जी) के अलावा बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) साझेदारी भी बढ़ाई जा सकती है. यूक्रेन के रक्षा उद्योग का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा निजी क्षेत्र में है. रक्षा औद्योगिक आधार पर ध्यान देने से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ सकता है.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि देश तेल की आपूर्ति सुरक्षित करने और ईंधन कीमतों पर दबाव कम करने के लिए काम कर रहा है. उन्होंने सऊदी अरब के युवराज और कतर के अमीर से बातचीत की. मैक्रों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने और वैकल्पिक तेल मार्ग खोलने को प्राथमिकता बताया. इससे तेल आपूर्ति सुरक्षित होगी और ईंधन कीमतों का दबाव घटेगा.

गुरुग्राम में गोपाल कांडा के घर पर ईडी ने मारा छापा

- रियल एस्टेट फ्रॉड मामले में कार्रवाई

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 सितंबर. प्रवर्तन निदेशालय ने आज हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के गुरुग्राम स्थित आवास और फार्महाउस पर छापेमारी की. यह कार्रवाई रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच का हिस्सा है.

यह जांच रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड के खिलाफ चल रहे एक मामले से संबंधित है. वाटिका लिमिटेड पर निवेशकों को वाणिज्यिक परियोजनाओं में लुभाने का आरोप है. कंपनी ने समय पर कब्जा, सुनिश्चित रिटर्न और लीज रेंटल का आश्वासन दिया था. साथ ही, बिक्री विलेख निष्पादित करने का वादा भी किया था. ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दायरे में चार परियोजनाएं हैं. इन परियोजनाओं में 661 निवेशकों से 248.46 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे. निवेशकों को न तो कब्जा दिया गया और न ही बिक्री विलेख निष्पादित किए गए. अधिकारियों को संदेह है कि रियल एस्टेट कंपनी से धन का गबन किया गया.

आज का इतिहास

1180 – फिलिप अगुस्टस फ्रांस का राजा बना.
1615 – इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एंबेसडर थामस रॉ जहाँगीर से मिलने सूरत पहुँचा.
1803 – अंग्रेजों ने ओडिशा के पुरी पर कब्जा किया.
1809– लंदन में रॉयल ऑपेरा हाउस खुला.
1851– न्यूयार्क टाइम्स अख़बार ने प्रकाशन शुरू किया.
1906 – भारतीय हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म.
1922 – हंगरी लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ.
1926 – अमेरिका के मियामी में चक्रवाती तूफान से 250 लोगों की मौत

आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ की मानहानि का नोटिस

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 सितंबर. दिशा सालियान मर्डर केस अब लगातार तुल पकड़ता जा रहा है. हाल ही में सीबीआई ने दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था. अब उन्होंने दोनों नेताओं को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है.

नोटिस में दोनों के कुछ बयानों पर आपत्ति जताई गई है. सतीश सालियन ने माफी मांगने, बयान वापस लेने और 500 करोड़ का हर्जाना देने की मांग की है. इसके लिए सात दिन का समय दिया गया है.यह कानूनी नोटिस वकील अनुष्का सोनावणे के जरिए भेजा गया है. नोटिस में दोनों नेताओं से बिना शर्त, स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगने को कहा गया है. माफी को सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों में प्रकाशित कराने की मांग की गई है. इसके लिए प्रिंट मीडिया में ए4 आकार का विज्ञापन देने और राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रमुख न्यूज चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कम से कम तीन मिनट का बिना शर्त वीडियो माफीनामा जारी करने को कहा गया है. नोटिस में कहा गया है कि आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने सतीश सालियान के बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए. सतीश का कहना है कि उनकी बेटी की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया गया. साथ ही यह भी कहा गया कि सीबीआई पहले ही दिशा सालियान मामले की जांच कर चुकी है और उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है.सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की स्वतंत्र जांच के लिए संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका में कई आरोपों, परिस्थितियों, विरोधाभासों और दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मेंशन किया गया था.

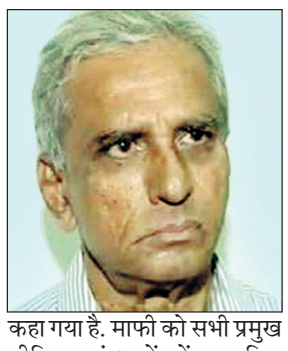

सवाल-जवाब शिवसेना विवाद में चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल

न्यूट्रल रास्ता क्यों नहीं अपनाया : सुको

नवभारत न्यूज़

मुंबई, 17 सितंबर. शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल किया कि अगर भारत के चुनाव आयोग को यह तय करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेस्ट में कमियां दिखीं कि कौन सा गुट असली शिवसेना है तो उसने एक गुट को मौजूदा पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न देने के बजाय दोनों गुटों को अपनी ताकत के दम पर चुनाव लड़ने देने का न्यूट्रल रास्ता क्यों नहीं अपनाया.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच उद्धव ठाकरे की उस

चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया.शिंदे गुट की ओर से सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि इसीआई ने सिर्फ़ 2022 में पार्टी के लेजिस्लेटिव विंग में हुई टूट के आधार पर 'चुनाव चिह्न आदेश' के पैरा 15 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यह तय करने से पहले कि कौन सा गुट पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, राजनीतिक संगठन से जुड़ी अन्य बातों पर भी विचार किया. कौल ने कहा कि इसीआई ने पार्टी के संविधान, उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों और संगठनात्मक-बहुमत टेस्ट की जांच की थी और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि शिवसेना विवाद के खास हालात में, लेजिस्लेटिव ताकत ही एकमात्र भरोसेमंद टेस्ट है. जस्टिस बागची ने कौल की इस बात पर ध्यान दिया कि संगठनात्मक टेस्ट में दिक्कतें हैं, क्योंकि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है.

ममता बनर्जी को न टीएमसी नाम मिला, न सिंबल

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के उप-चुनाव में टीएमसी के दोनों धड़े को झटका दिया है. ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी से तीन नए नाम और तीन फ्री चुनाव सिंबल शुक्रवार सुबह 11 बजे तक देने कहा है. उप-चुनाव में चुनाव आयोग ने ममता और ऋतब्रत को झटका देते हुए टीएमसी नाम और फूल-घास वाला टीएमसी चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

उत्तराखंड सरकार ने अडानी पावर को फायदा पहुंचाया : पवन खेड़ा

नई दिल्ली,17 सितंबर. कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा अडानी पावर को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर बड़ा खुलासा किया है.

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दस्तावेजों को आधार बनाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यूजेवीएन व टीएचडीसी के एक स्वीकृत 1,320 मेगावाट क्षमता के संयुक्त बिजली प्रोजेक्ट को जानबूझकर रद्द कर दिया. पवन खेड़ा ने बताया कि इस सरकारी परियोजना को खारिज करने के तुरंत बाद उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निजी क्षेत्र से बिजली खरीदने के लिए नया टेंडर निकाला. उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी पावर को अनुचित लाभ देने के लिए टेंडर के कुल 86 नियमों में से 84 नियमों को बदल दिया गया. इसमें सबसे प्रमुख बदलाव सिंगल बिडर की शर्त जोड़ना था, जिसने अन्य कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा के रास्ते बंद कर दिए. इसके साथ ही, 1,000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ से बिजली लाने के कारण ट्रांसमिशन की भारी लागत का बोझ भी राज्य की जनता पर डाल दिया गया. इस 5.746 रुपये प्रति यूनिट की दर वाले समझौते से उत्तराखंड के उपभोक्ताओं पर अगले 25 वर्षों में लगभग 1.6 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.